न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 52/2020

1 दीनबन्धू जालान पुत्र बिड़दीचन्द जालान जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 29 कस्बा झुंझुनू हाल निवासी 1503 अविंग एस्टर टॉवर, गोकुलधाम मालाड ईस्ट मुम्बई जरिये मुख्तयार खास मुकेश जालान पुत्र किशोरीलाल जालान जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 38 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रमाकान्त बावलिया तथाकथित दत्तक पुत्र मदनलाल बावलिया जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 19 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू पॉवर ऑफ अटोर्नी कासीराम पुत्र बंशीधर जाति जीनगर निवासी वार्ड नम्बर 18 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 जोगेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
3 विजय सिंह पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी काली पहाड़ी तहसील व जिला झुंझुनू।
4 अरूण जानु पुत्र सज्जन कुमार जाति जाट निवासी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी
दीनबन्धू जालान बनाम रमाकान्त बावलिया प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. मुकदमा नम्बर 16/2017
निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2019

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—28-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2017 में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध अदालत मातहत में जमीन हाल खसरा नम्बर 450 रकबा 0.62 हैक्टेयर सरहद कस्बा झुन्झुनू के बाबत दावा उनवानी मु. गीता देवी बनाम दीनबन्धू जालान दावा संख्या 74/2009 प्रस्तुत किया जो बहक रेस्पोडेन्ट दिनांक 22.12.2015 को निर्णित होकर डिक्री हुआ और उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में रेस्पोडेन्ट के हक में जरिये नामान्तकरण संख्या 33/2017 दिनांक 29.12.2015 कस्बा झुन्झुनू राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 के विरूद्ध अपीलांट के द्वारा अदालत हाजा में अपील उनवानी दीनबन्धू जालान बनाम रमाकान्त बावलिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुंझुनूं (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 219/2015 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 13.02.2017 के द्वारा अपीलांट के हक में निर्णित होकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 को खारिज किया गया। अदालत मातहत के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां अपील/टी.ए./851/2017/झुन्झुनू उनवानी रमाकान्त बावलिया बनाम दीनबन्धू जालान प्रस्तुत की गई जो उक्त न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2019 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज की गई और अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 13.02.2017 को यथावत रखा गया। अपीलांट ने अदालत मातहत के यहां एक प्रार्थना पत्र संख्या 16/2017 उनवानी दीनबन्धू जालान बनाम रमाकान्त बावलिया अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने अपीलांट की उक्त प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित दावा संख्या 74/2009 उनवानी मु. गीता देवी बनाम दीनबन्धू जालान वगैरह में निर्णय दिनांक 10.04.2019 के द्वारा निर्णित कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 27.01.2020 को स्वीकार की गई। इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील 747/2020 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 04.03.2020 से स्वीकार इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.01.2020 अपास्त कर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 अस्तित्व में नहीं रहा और विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन होता है उस निर्णय व डिक्री के निरस्त होने पर राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल होना एक आदेशात्मक प्रकिया है। कानून से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करने का दायित्व स्वयं अदालत मातहत का था और किसी भी सुरत में गलत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्व रिकार्ड को कायम रखने की इजाजत कानून से नही दी जा सकती है। निर्णय जैर बहस में अदालत मातहत ने जो टुकड़ों में बेचान का हवाला दर्ज किया है वह बेचाननामा गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2017 के बाद में हुये है। अदालत मातहत ने तथ्य व विधि को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। कानून से जिस डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये गये थे अगर वे डिक्री निरस्त की जा चुकी है तो फिर धारा 144 जा.दी. के तहत इन्द्राज को रेस्टोरेट करना एक आज्ञापक प्रावधान है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने 2015(2) आर. आर.टी. 1121 भैरूलाल बनाम चान्दी के केस में व अन्य मुकदमों में व्याख्या की है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी 2015(2) पेज 1121 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहन द्वारा विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में दिनांक 22.12.2015 को दावा डिक्री किया गया। इसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 33 दर्ज किया गया है। विचारण न्यायालय के इस निर्णय को राजस्व अपील अधिकारी एवं माननीय मण्डल द्वारा अपास्त कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है। मूलवाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 340 सीआरपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय द्वारा यह आवेदन खारिज किया जा चुका है। नामान्तकरण संख्या 33 के विरूद्ध अपील श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा खारिज की जा चुकी है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 144 खारिज किया जा चुका है। इसकी प्रथम अपील इस न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से स्वीकार की गई थी। जिसे माननीय मण्डल द्वारा अपास्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को उभयपक्ष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

को सुनकर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया गया है। पक्षकारों के मध्य मूलवाद अभी विचाराधीन है, अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में दावे के अंतिम निर्णय से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 को बेदखल किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में तबदीली किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहन द्वारा विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में दिनांक 22.12.2015 को दावा डिक्री किया गया। इसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 33 दर्ज किया गया है। विचारण न्यायालय के इस निर्णय को राजस्व अपील अधिकारी एवं माननीय मण्डल द्वारा अपास्त कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है। मूलवाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 340 सीआरपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय द्वारा यह आवेदन खारिज किया जा चुका है। नामान्तकरण संख्या 33 के विरूद्ध अपील श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा खारिज की जा चुकी है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 144 खारिज किया जा चुका है। इसकी प्रथम अपील इस न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से स्वीकार की गई थी। जिसे माननीय मण्डल द्वारा अपास्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया गया है। पक्षकारों के मध्य मूलवाद अभी विचाराधीन है, अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में दावे के अंतिम निर्णय से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 को बेदखल किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में तबदीली किया जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 28-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर